

बिहार सरकार
कार्यालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)
OFFICE OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015, दूरभाष : 0612-2215041,
E-mail-scdisability2008@gmail.com, Website-scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-15/रा0आ0नि0/निर्वा0-01/2019-.....

1301/31.12.19

दिनांक-.....अक्टूबर '2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार।

विषय :- बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2020 से सम्बन्धित निर्वाचन कार्य में तैनाती से दिव्यांगजनों को मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय में कहना है कि विभिन्न दिव्यांगजनों से उन्हें उनकी असमर्थता व अनिच्छा के बावजूद बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2020 के दौरान निर्वाचन कार्य में तैनात किये जाने तथा इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निदेश दिये जाने संबंधित शिकायतें कार्यालय को प्राप्त हो रही हैं।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलों में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

उक्त विषय में दिव्यांगजनों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में भारतीय चुनाव आयोग के पत्रांक- 458/4/98-PLN-IV, दिनांक- 30.10.1998 तथा न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के पत्रांक- वाद संख्या-11069/1141/2019-R-1612, दिनांक-24.04.2019 जो विगत लोक सभा चुनाव 2019 के दौरान निर्वाचन कार्य में तैनाती से दिव्यांगजनों को मुक्त किए जाने के विषय में सम्बन्धित जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, लखीसराय को निर्गत किया गया था, कि प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषय के संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

उल्लेखनीय है वर्तमान में कोविड संक्रमण के कारण व्यापत आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभावितता के आलोक में इस विषय की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त निदेशानुरूप दिव्यांगजनों को उनके द्वारा इस संबंध में अपनी असमर्थता/अनिच्छा व्यक्त की जाने के स्थिति में उन्हें बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2020 से सम्बन्धित निर्वाचन कार्य से मुक्त किए जाने हेतु आवश्यक निदेश प्रदान करने एवं इस संबंध में कृतकार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराने के कृपा की जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

07.10.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापाक-सं0सं0-15/रा0आ0नि0/निर्वा0-01/2019-.....

दिनांक-.....अक्टूबर '2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, 07, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, पटना-15, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
01.10.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापाक-सं0सं0-15/रा0आ0नि0/निर्वा0-01/2019-.....

दिनांक-.....अक्टूबर'2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
01.10.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ण के
लि
स्याण

ELECTION COMMISSION OF INDIA

No. 458/4/98-PLN-IV

Dated, the 30th October, 1998

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

To

**The Chief Electoral Officers of
Assam, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Mizoram,
Madhya Pradesh, Nagaland, NCT of Delhi, Punjab,
Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal,**

Subject : – Drafting of Personnel for election duty,

Preparations for the current elections are in full swing. The field officers would be finalising the list of personnel to be deployed for elections duty primarily as polling and counting staff. In this connection a suggestion has been received from the Chief Commissioner for Disabilities, Govt. of India to exempt disabled persons from being deployed for such election related duties.

The persons with disabilities have been defined under the Equal Opportunities Protection of Rights & Full participation Act 1996. The relevant extracts of this is enclosed. The Commission desires that as far as possible persons with disabilities as defined under the Act should not be deployed for election duty. This aspect may be kept in mind for selection and deployment of staff election duty.

Yours faithfully

**(K.R. Prasad)
Secretary**



न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice and Empowerment

भारत सरकार/Government of India

वाद संख्या 11069/1141/2019

दिनांक 24-4-2019

सेवा में

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन,
बिहार सरकार,
समाज कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग कैम्पस,
पुराना सचिवालय, पटना-800015
ईमेल - scdisability2008@gmail.com

विषय- निर्वाचन कार्य (लोक सभा चुनाव 2019) में तैनाती से दिव्यांग व्यक्तियों को मुक्त किए जाने से सम्बन्धित
श्री रणवीर कुमार, 50% प्रतिशत अस्थि दिव्यांग व्यक्ति का अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर श्री रणवीर कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन/ईमेल दिनांक 31.03.2019 तथा दिव्यांग व्यक्तियों को निर्वाचन सम्बन्धित कार्यों के लिए तैनाती न किए जाने सम्बन्धित भारतीय चुनाव आयोग द्वारा देश के सभी राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्गत पत्रांक 464/INST/2008/ESP दिनांक 23.12.2008 की छायाप्रतियाँ आपको उचित कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

भवदीय,

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

(डा. संजय कान्त प्रसाद)
उप मुख्य आयुक्त

प्रतिलिपि -

अतिरिक्त आयुक्त दिव्यांगजन एवं
जिलाधिकारी,
कार्यालय जिलाधिकारी लखीसराय,
समाहरणालय,
लखीसराय - 811302 (बिहार)
Email - lakhisarai.bih@nic.in

: शिकायतकर्ता कि शिकायत की छायाप्रति के साथ
अविलम्ब उचित कार्यवाही हेतु।

✓ श्री रणवीर कुमार, 8/6/21
टीजीटी (हिन्दी)
जवाहर नवोदय विद्यालय,
ग्राम व पोस्ट - बड़हिया,
जिला - लखीसराय - 811302 (बिहार)
Email - ranvirkumar2013@rediffmail.com

: इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि राज्य सरकारों एवं उनके उपक्रमों से सम्बन्धित विषयों पर सम्बन्धित राज्य के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उचित प्राधिकारी हैं। अतः आप इस विषय में एवं भविष्य में राज्य सरकार से सम्बन्धित अन्य मामलों में अपने विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं समर्थक दस्तावेजों के साथ आयुक्त दिव्यांगजन, बिहार सरकार और जिलाधिकारी कार्यालय, पूर्वी चम्पारण से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें।

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006

Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001; Tel.: 23386054, 23386154; Telefax : 23386006

E-mail: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल/केस संख्या अवश्य लिखें)

(Please quote the above file/case number in future correspondence)